"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2002—आश्विन 13, शक 1924

गृह विभाग
(सी. अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश,<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | अध्यक्ष |
| 2. | न्यायमूर्ति श्री के. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त)<br>द्वारा-श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव,<br>तृतीय अति. जिला न्यायाधीश,<br>कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर. | - | सदस्य |
| 3. | न्यायमूर्ति श्री एस. डी. झा (सेवानिवृत्त)<br>द्वारा-श्री विक्रम झा,<br>अधिवक्ता, जगदलपुर. | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002, दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 4th October 2002

NOTIFICATION

No.F-4-65/Home/C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

1. Hon'ble Shri Justice Fakhruddin
High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. - Chairman

2. Hon'ble Shri Justice K. L. Shrivastava
Retired Judge,
C/o Shri Arvind Kumar Shrivastava,
III Additional District Judge,
Office of the District & Session Judge,
Bilaspur. - Member

3. Hon'ble Shri Justice S. D. Jha
Retired Judge,
C/o. Shri Vikram Jha,
Advocate, Jagdalpur. - Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—प्रिवेन्सन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्राफिक सब्सटेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. - अध्यक्ष

2. न्यायमूर्ति श्री के. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त)
द्वारा-श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव,
तृतीय अति. जिला न्यायाधीश,
कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर. - सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 3. | न्यायमूर्ति श्री एस. डी. झा (सेवानिवृत्त)<br>द्वारा-श्री विक्रम झा,<br>अधिवक्ता, जगदलपुर. | सदस्य. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002, दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 4th October 2002

NOTIFICATION

No.F-4-65/Home/C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffice in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1980) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Shri Justice Fakhruddin<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Shri Justice K. L. Shrivastava<br>Retired Judge,<br>C/o Shri Arvind Kumar Shrivastava,<br>III Additional District Judge,<br>Office of the District & Session Judge,<br>Bilaspur. | - | Member |
| 3. | Hon'ble Shri Justice S. D. Jha<br>Retired Judge,<br>C/o. Shri Vikram Jha,<br>Advocate, Jagdalpur. | - | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. - अध्यक्ष

2. न्यायमूर्ति श्री के. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) द्वारा-श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अति. जिला न्यायाधीश, कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर. - सदस्य

3. न्यायमूर्ति श्री एस. डी. झा (सेवानिवृत्त) द्वारा-श्री विक्रम झा, अधिवक्ता, जगदलपुर. - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002, दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 4th October 2002

## NOTIFICATION

No.F-4-65/Home/C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (65 of 1980), the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

1. Hon'ble Shri Justice Fakhruddin High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. - Chairman

2. Hon'ble Shri Justice K. L. Shrivastava Retired Judge, C/o Shri Arvind Kumar Shrivastava, III Additional District Judge, Office of the District & Session Judge, Bilaspur. - Member

3. Hon'ble Shri Justice S. D. Jha - Member
Retired Judge,
C/o. Shri Vikram Jha,
Advocate, Jagdalpur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश, – अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.

2. न्यायमूर्ति श्री के. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) – सदस्य
द्वारा-श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव,
तृतीय अति. जिला न्यायाधीश,
कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.

3. न्यायमूर्ति श्री एस. डी. झा (सेवानिवृत्त) – सदस्य
द्वारा-श्री विक्रम झा,
अधिवक्ता, जगदलपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2002, दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 4th October 2002

NOTIFICATION

No.F-4-65/Home/C/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

1. Hon'ble Shri Justice Fakhruddin High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. - Chairman

2. Hon'ble Shri Justice K. L. Shrivastava Retired Judge, C/o Shri Arvind Kumar Shrivastava, III Additional District Judge, Office of the District & Session Judge, Bilaspur. - Member

3. Hon'ble Shri Justice S. D. Jha Retired Judge, C/o. Shri Vikram Jha, Advocate, Jagdalpur. - Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.